

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता देवघर ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी; जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॅची, दिनांक : २९/३/१९

विषय :—

मॉग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—८०—सामान्य, लघु शीर्ष—७८९—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—६२—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४५—निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९S470180789620545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में निधि का आवंटन।

प्रसंग :—

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या—४१/१६—१७, दिनांक—१६.०८.२०१६

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है:—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	अवशेष बजट उपबंध से आवंटित राशि	प्राप्त प्रत्यार्पण से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
१	२	३	४	५	६	७ (५+६)
1.	४९—जल संसाधन विभाग / ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०—सामान्य	७८९—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना / ६२—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण,	०५—निर्माण, ४५—निर्माण कार्य ४९S470180789620545	6.65	158.41	165.06

आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ पैसठ लाख छ: हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८—१९ के संशोधित बजट उपबंध ₹. ६२००.०० लाख (बासठ करोड़) मात्र के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक 17.04.98, १८०० (वि.) दि. 15.07.2003 एवं १३६२ दि. ०९.०५.२०१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत परिशिष्ट—१ के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि परिशिष्ट—२, में वर्णित प्रत्यार्पण स्वीकृत करते हुये निर्गत किया जा रहा है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

२०१९

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

२०१९

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


२०१९

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख—१

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. विहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 237

रॉची, दिनांक :—

29/3/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त्।


(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 237

रॉची, दिनांक :— 29/3/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


(रमेश कुमार दुबे) 29/3/19

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार) 29/3/19
अभियंता प्रमुख—1

(अरुण कुमार सिंह) 29.3.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक २३२ दिनांक २९/३/१९

का अनुलानक

पारिशिष्ट -1

माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -789-अनुसन्धान जातियों के लिये विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण,


विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, 49S470180789620545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संशोधित बजट उपबंध ₹ 6200.00 लाख (बास्तर करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अधियक्षता	योजना का नाम	राशि	प्रसंग	मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन					On-line Allotment Access No.	अस्थुक्ति
							पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	8	9		
1	सिंचाई प्रमंडल जसीडीह (DGRCMMF77)	प्रदूषित वेवधर	पुनासी जलाशय योजना	79772.25	41 / 16-17 प्र.स्वी., दिनांक- 16.08.2016 Online AA- 1202/18.08.16	35632.95	2901.00	165.06	3066.06	107188			
			कुल योग	2901.00	165.06	3066.06							

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ पैसर लाख छ: हजार मात्र।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमित)


(रमेश कुमार देव)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अधियक्षता प्रमुख-1


(अरुण कुमार सिंह) २९.३.१९
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 232

दिनांक 29/3/19

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -2

मॉग संस्थाया-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-789-अनुसारित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, 49S470180789620545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संशोधित बजट उपरबंध ₹ 6200.00 लाख (बासठ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2018 तक का व्यय	पूर्ति का आवंटन	प्रत्यापित राशि	संशोधित आवंटन	On-line Alloument Access No.	अनुक्रमित
				राशि	प्रसंग						
1	सिंचाई प्रमंडल, देवधर (DGRCMF59)	प्र	पुनासी जलाशय योजना	79772.25	41/ 16-17 प्र०खी, दिनांक- 16.08.2016 Online AA- 1202/18.08.16	35632.95	360.3700	158.4100	201.9600	94856	
				कुल योग	360.3700	158.4100	201.9600				

क्षेत्रीय कार्यालय ह्रास कुल प्रत्यापित राशि - ₹ एक करोड़ अन्तर्वन लाख एकतालीस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधिक)

(रमेश कुमार द्व्याकरण)
विशेष सचिव

(हेमत कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अलग कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
29.3.19